मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 78/2020 वादपत्र धारा 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट.

1– तुलसीराम पिता लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
2– उदीबाई पत्नी स्व. लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

—–वादीगण

बनाम

1– प्रभूलाल पिता भूरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
2– शान्तिलाल पिता भूरालाल धाकड निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
3– मोहनी पुत्री भूरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
4– रंजना पुत्री भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
5– लीला पुत्री भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
6– सखी बाई पत्नी स्व. भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
7– हुकमीचन्द पिता लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
8– राज. सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

–प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा की आराजी नं. 596 रकबा 0.0400 हैक्ट. भूमि में से 0.0200 हैक्ट. भूमि अर्थात 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी नं. 7 के नाम पर संयुक्त खातदारी में घोषित की जाती है। शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 के यथावत रहेगी। इस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद वकील वादी साबित करने में असफल रहा है। इसलिये धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद खारिज की जाती है।

इस वाद के खर्चे....x.... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..x.... को दी जावे।
यह आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/231 दिनांक : 23/12/2025

मूल ही तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजा कर लेख है कि आदेशानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:34 IST
Reason: SelfAttested

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 78/2020 वादपत्र धारा 88, 89, 188, 209 आर.टी.एक्ट.

1– तुलसीराम पिता लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
2– उदीबाई पत्नी स्व. लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

——वादीगण

बनाम

1– प्रभूलाल पिता भूरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
2– शान्तिलाल पिता भूरालाल धाकड निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
3– मोहनी पुत्री भूरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
4– रंजना पुत्री भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
5– लीला पुत्री भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
6– सखी बाई पत्नी स्व. भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
7– हुकमीचन्द पिता लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
8– राज. सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से वकील श्री अनिल सोनावा तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा की आराजी नं. 596 रकबा 0.0400 हैक्ट. भूमि में से 0.0200 हैक्ट. भूमि अर्थात 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी नं. 7 के नाम पर संयुक्त खातदारी में घोषित की जाती है। शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 के यथावत रहेगी। इस अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद वकील वादी साबित करने में असफल रहा है। इसलिये धारा 188 आर.टी.एक्ट. की दाद खारिज की जाती है।

इस वाद के खर्चे.....X... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित..X.... को दी जावे।
यह आज दिनांक 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : राजस्व/2025/231 दिनांक : 23/12/2025

मूल श्री तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायें।

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:34 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 78/2020 ई.रे.

1– तुलसीराम पिता लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादडी
2– उदीबाई पत्नी स्व. लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी

——वादीगण

बनाम

1– प्रभूलाल पिता भूरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
2– शान्तिलाल पिता भूरालाल धाकड निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
3– मोहनी पुत्री भूरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
4– रंजना पुत्री भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
5– लीला पुत्री भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
6– सखी बाई पत्नी स्व. भुरालाल धाकड़ निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
7– हुकमीचन्द पिता लछीराम मेघवाल निवासी जयसिंहपुरा तहसील बडीसादड़ी
8– राज. सरकार जरिये भूमीधारी तहसीलदार बड़ीसादड़ी

—प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 रा0टी0एक्ट</u>

// निर्णय //   दिनांक :– 23/12/2025

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि –

1– खतोनी संख्या नई 228 की आराजी खसरा नं. 596 रकबा 0.0400 है. लगानी 0.28 पैसा भूमि राजस्व ग्राम जयसिंहपुरा पटवार सर्कल जयसिंहपुरा तहसील बड़ीसादड़ी में स्थित है। इस आराजी के भू प्रबंधक मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक आराजी नं. 347/2 ख रकबा 0–04 विस्बा है। वास्ते साक्ष्य नकल जमाबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल की नकल संलग्न है। इन आराजी को वाद पत्र मे आगे चलकर सुविधा के लिहाज से वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

2– मूल पुरूष लछीराम पिता गमेरा मेघवाल थे जिनका दिनांक 17.9.2016 को स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिक वारिस पुत्र हुकमीचन्द, तुलसीराम, बेवा पत्नी उदीबाई है।

3– वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के साबिक आराजी नं. 347/2ख रकबा 0–04 विस्बा है उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादी कमांक 1 के [illegible] प्रतिवादी कमांक 6 के पति श्री भूरालाल पिता गोपाल जी धाकड़ साकीन जयसिंहपुरा के नाम पर राजस[illegible] दर्ज थी। वादग्रस्त साबिक आराजी नं. 347/2 ख रकबा 0–04 विस्बा भूमि में से रकबा 0–01 विस्बा [illegible] दो विस्बा भूमि को दिनांक 22.7.1996 को बिल एवज् 11,000/–रू अक्षरे ग्यारह [illegible] विक्रय पत्र के वादी कमांक 1 व प्रतिवादी कमांक 7 के पिता तथा वादी कमांक 2 के पति स्व. लछी[illegible] पिता गमेरा जी मेघवाल ने खरीद की। श्री भूरालाल पिता गोपाल जी धाकडऋ ने विकय पत्र में अंकित विकित आराजी के पडोस निम्न प्रकार है :– पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

:– आम रास्ता। मुजवा जाने वाला। पश्चिम :– रतन पिता नन्दा जी की आराजी । उत्तर रतन पिता नन्दा जी की आराजी । दक्षिण :– इस नम्बर की शेष 2 विस्बा भूमि। उपरोक्त चारों पडोसों बिच की भूमि रकबा 0–02 विस्बा भूमि को बिल एवज् 11000/–रू. अक्षरे ग्यारह हजार रूपया में विक्रय कर विक्रय की राशि प्राप्त कर विक्रय पत्र पर प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के सहमति में हस्ताक्षर करवा कर उनकी मौजुदगी मे विधिवत् पंजीयन स्वयं श्री उप पंजीयक बड़ीसादड़ी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 23.07.1996 को लछीराम पिता गमेरा जी मेघवाल के नाम पर पंजीबद्ध करवाया। वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी में से रकबा 0–02 विस्बा भूमि का उपयोग उपभोग खरीददार श्री लछीराम पिता गमेरा जी मेघवाल करते थे। श्री लछीराम जी का स्वर्गवास हो गया है जिनके विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 7 स्व. लछीराम पिता गमेरा जी के विधिक वारिसान् एवं उत्तराधिकारी होने से उक्त भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के निर्विघ्न रूप से शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे है।

4– वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी मे से रकबा 0–02 विस्बा को श्री लछीराम पिता गमेरा जी मेघवाल ने विधिवत् प्रकिया के जरिये मूल खातेदार भूरालाल पिता गोपाल जी धाकड़ से खरीद की उस पर कब्जा प्राप्त किया किन्तु लछीराम जी अनपढ थे जिनको कानून की कोई जानकारी नही थी जिससे वे वादग्रस्त आराजी में से रकबा 0–02 विस्बा खरीद शुदा भूमि का राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम पर दर्ज नही करवा सके। जिससे उक्त भूमि विक्रेता भुरालाल पिता गोपाल जी धाकड़ के नाम पर थी विक्रेता श्री भुरालाल जी के देहान्त के बाद भुरालाल की सम्पूर्ण खाते की भूमि के साथ विक्रित भूमि भी उनके विधिक वारिसान् प्रतिवादी क्रमांक 01 से लगायत् 06 के नाम पर विरास्त से दर्ज हुई। प्रतिवादी क्रमांक 01 से लगायात् 06 को भी इसकी पूर्णतया जानकारी है कि खातेदार भुरालाल जी ने आराजी नं. 347/2 ख रकबा 0–02 विस्बा में बिकाव की उस पर उसका कब्जा है वक्त विक्रय पत्र के दस्तावेज में प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के इस विक्रय पत्र से सहमत है में हस्ताक्षर निष्पादित है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत् 6 को बिकाव नामें की पूरी जानकारी है। तथा वादग्रस्त आराजी में से रकबा 0–02 विस्बा विकत भूमि पर इनका कोई कब्जा काश्त नही है। वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में भी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 7 मौके पर श्री लछीराम जी क देहान्त के बाद से उक्त भूमि का विरास्त एवं उत्तराधिकार से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इनके अतिरिक्त इस भूमि पर किसी अन्य का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वादीगण वादग्रस्त आराजी में से रकबा 0–02 विस्बा भूमि की खातेदारी की घोषणा अपने एवं प्रतिवादी क्रं. 07 के नाम पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर कराने के कानूनन अधिकारी है।

5– मृतक श्री लछीराम पिता गमेरा जी मेघवाल ने खातेदार श्री भूरालाल पिता गोतम जी धाकड़ से सम्पति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनकी खाते की भूमि खरीद की एवं उसका भारतीय पंजीयन अधिनियम के अनुसार विधिवत् पंजीयन करवाया। जिससे वक्त खरीद से उक्त भूमि के मालिक एवं सवामी व खातेदार श्री लछीराम जी हो गये। उक्त भूमि से सभी स्वत्व एवं अन्तरण सम्बंधी अधिकार उनमें निहित हो गये थे। जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से की भूमि का अन्तरण विक्रय/बिकाव के माध्यम से करता है तो उसका उस भूमि में विक्रय के दिन से कोई स्वत्व एवं अधिकार नही रहता है। जिससे वादग्रस्त आराजी में से रकबा 0–02 विस्बा भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 7 श्री लछीराम जी के वारिस होने से खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी है। इस आधार पर खातेदारी दर्ज किया जाना [illegible] एवं न्याय संगत है।

6– वाद पत्र चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में से रकबा 0–02 विस्बा भूमि की खातेदारी की घोषणा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 7 के नाम पर कराई जाकर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

7– वादग्रस्त अराजीयात प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत् 6 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है इसलिये प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायात् 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात के किसी हिस्सा विशेष को रहन बय बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तान्तरित न करे न करावे तथा वादीगण के हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि में दखल अन्दाजी न करे न करावे। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण को अपने हिस्से कीय आराजी पर यथावत् काबिज रहने देवे।

अतः वादीगण का निवेदन है कि वादीगण का वाद बहक प्रतिवादीगण के विरूद्ध निन्नानुसार डिक्री फरमाया जावे।

क– वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नं. 596 रकबा 0.0400 है. भूमि मे से रकबा 0.0200 है. भूमि अर्थात् 1/2 हिस्से की भूमि की खातेदारी की घोषणा वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 7 के नाम पर संयुक्त कराई जाकर इनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे। तथा शेष 1/2 हिस्से अर्थात रकबा 0.0200 है. की भूमि प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायत् 6 के यथावत रहने देवे।

ख– प्रतिवादी क्रमांक 1 से लगायात 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात के किसी हिस्सा विशेष को रकन बय बक्षीश या अन्य तरीके से हस्तान्तरित न करे न करावे तथा वादीगण के हिस्से एवं स्वामित्व की भूमि में दखल अन्दाजी न करे न करावे। राजस्व रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादीगण को अपने हिस्से की आराजी पर यथावत् काबिज रहने दे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । प्रतिपादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में तुलसीराम, उदीबाई व अम्बालाल के शपथ पत्र पेश हुये तथा उनके बयान लेखबद्ध किये गय

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । वकील वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा जयसिंहपुरा पटवार हल्का जयसिंहपुरा की आराजी नं. 596 रकबा 0.0400 हैक्ट. भूमि में से 0.0200 हैक्ट. भूमि अर्थात 1/2 हिस्से की भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी नं. 7 के नाम पर संयुक्त खातदारी में घोषित की जाती है। शेष 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 के यथावत रहेगी। धारा 188 आर.टी.एक्ट की दाद वादी साबित करने में अफसल रहा इसलिये धारा 188 की दाद खारिज की जाती है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो।
निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2026.03.27 10:23:34 IST
Reason: SelfAttested